



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112025-268096
CG-DL-E-29112025-268096

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5324]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2025/अग्रहायण 7, 1947

No. 5324]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2025/AGRAHAYANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5505(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज/किमी में लंबाई
(1)	(2)	(3)
17 (पुराना रारा-37)	गुवाहाटी शहर में वीआईपी जंक्शन – जालुकाबाड़ी जंक्शन (असम राज्य में)	11.963
715 (पुराना रारा-37)	कलियाबोर जंक्शन – नुमालीगढ़ खंड (असम राज्य में)	किमी 315.315 से किमी 402.500

[फा. सं. एनएच- 14013/23/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5505(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage/ length in km
(1)	(2)	(3)
17 (old NH-37)	VIP junction – Jalukbari junction in Guwahati city (in the state of Assam)	11.963 km
715 (old NH-37)	Kaliabhor junction- Numaligarh section (in the state of Assam)	Km 315.315 to Km 402.500

[F. No. NH-14013/23/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5506(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना अधिसूचना सं. का. आ. 1305(अ), दिनांकित 20 मार्च, 2023 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

37 (नया रारा-37)	गुवाहाटी खंड पर दुधनोई से जालुकाबाड़ी इंटरचेंज (असम राज्य में)	किमी 109.76 से किमी 212.495
------------------	---	-----------------------------

क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

17 (पुराना रारा-37)	दुधनोई – वीआईपी जंक्शन खंड (असम राज्य में)	90.772 किमी
---------------------	---	-------------

[फा. सं. एनएच-14013/23/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1305(अ), दिनांकित 20 मार्च, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5506(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1305(E), dated the 20th March, 2023, namely: -

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively: -

37 (New NH-17)	Dudhnoi to Jalukbari interchange at Guwahati section (In the State of Assam)	Km. 109.76 to Km. 212.495
----------------	--	------------------------------

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted: -

17 (old NH-37)	Dudhnoi- VIP junction section (In the State of Assam)	90.772 km
----------------	--	-----------

[F. No. NH-14013/23/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1305(E), dated the 20th March, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2025

का.आ. 5507(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुपालन में ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“3	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 [किमी 901.00 से किमी 962.00 (बिलासीपाड़ा – धीरघाट - चापर – खागरपुर – तुजुंगा – हापाचारा (खुलदूबी) और किमी 963.00 से किमी 1126.00 (रारा-31सी/31 का जंक्शन - नलबाड़ी गुवाहाटी) तक खंड को छोड़कर], सं. 36 [किमी 0.00 से किमी 159.4 (नगांव – दाबोका – मांजा – लाहोरीजन – खटखटी (दीमापुर) खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 37 [किमी 0.00 से किमी 50.26 (गोलपाड़ा – अगिया – पैकान – दुधनोई खंड), गुवाहाटी शहर में दुधनोई से वीआईपी जंक्शन खंड (90.772 किमी), वीआईपी जंक्शन – जालुकाबाड़ी जंक्शन खंड (11.963 किमी), किमी 146.000 से किमी 274.000 (गुवाहाटी बाइपास सहित गुवाहाटी से नगांव), किमी 278.58 से किमी	असम राज्य सरकार।”

315.315 (नगांव बाइपास से कलियाबोर खंड), किमी 315.315 से किमी 402.500 (कलियाबोर जंक्शन – नुमालीगढ़ खंड), किमी 402.500 से किमी 583.420 (नुमालीगढ़ – डिब्रूगढ़ खंड) और किमी 583.420 से किमी 650+450 (नुमालीगढ़ – डिब्रूगढ़ – छोटाहापजन खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 37ए [किमी 0.000 से किमी 17.300 (कलियाबोर तिनियाली से ढोलाबारी जंक्शन खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 38 [किमी 00.00 से किमी 53.000 (छोटाहापजन - डिगबोई - मरघेरिता - लीडो टाउन खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 39, सं. 44, [किमी 173.200 से किमी 204.00 (राताचेर्रा (असम/मेघालय सीमा) – कलैन – बदरपुर खंड) और किमी 204.00 से किमी 284.00 (बदरपुर – चुरईबाड़ी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 51, सं. 52 [किमी 0.000 से किमी 438.800 (बैहटा चरियाली – मिशन चरियाली – जामगुडी – गोहपुर – गोकामुख – कुलाजन – कांदुलीजन गांव खंड) और किमी 438.800 से किमी 511.00 (कांदुलीजन गांव – सिमेन चापोरी – रुकसिन गेट (असम/अरुणाचल प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 52ए [किमी 20.370 से किमी 30.045 (गोहपुर से होलोंगी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 52बी, सं. 54 [किमी 0.00 से किमी 42.00 (सिलचर – वैरेंगटे खंड) और किमी 0.00 से किमी 244.00 और किमी 275.00 से किमी 309.00 (सिलचर – हाफलोंग – लंका – दाबोका खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 61, सं. 152, सं. 153, सं. 154, नई रारा सं. 117ए, नई रारा सं. 127सी, नई रारा सं. 127डी, नई रारा सं. 127ई, नई रारा सं. 208ए, नई रारा सं. 315ए, नई रारा सं. 329, नई रारा सं. 329ए, नई रारा सं. 427, नई रारा सं. 627, नई रारा सं. 702, नई रारा सं. 702सी, नई रारा सं. 702डी, नई रारा सं. 715ए और नई रारा सं. 715के के उतने भाग जो कि असम राज्य में अवस्थित हैं।	
---	--

[फा. सं. एनएच- 14013/23/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.-4195(अ), तारीख 16 सितंबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2025

S.O. 5507(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
“3	So much of National Highways No. 31 [excluding from Km. 901.00 to Km. 962.00 (Bilasipara-Dhirghat- Chapar- Khagarpur- Tujunga - Hapachara (Rakhuldubi)) and Km. 963.00 to Km.1126.00 (Junction of National Highways 31C/31-Nalbari Guwahati)], No. 36 [excluding from Km. 0.00 to Km. 159.4 (Nagaon – Daboka – Manja – Lahorijan - Khatkhathi (Dimapur) section)], No. 37 [excluding Km. 0.00 to Km. 50.26 (Goalpara- Agia- Paikan- Dudhnoi section), Dudhnoi to VIP junction section (90.772 km), VIP junction – Jalukbari junction section (11.963 km) in Guwahati city , from Km.146.000 to Km. 274.000 (Guwahati to Nagaon including Guwahati Bypass), from Km.278.58 to Km.315.315 (Nagaon Bypass to Kaliabor section), from Km 315.315 to Km 402.500 (Kaliabor junction- Numaligarh section) , from	State Government of Assam.”

Km. 402.500 to 583.420 (Numaligarh-Dibrugarh section) and from Km. 583.420 to Km.650+450 (Numaligarh-Dibrugarh-Chotahapjan section)], No. 37A [excluding from Km.0.000 to Km. 17.300 (Kaliabor Tiniali to Dholabari Junction section)], No. 38 [excluding from Km. 00.00 to Km. 53.000 (Chotahapjan-Digboi- Margherita-Ledo Town section)], No.39, No. 44 [excluding from Km. 173.200 to Km. 204.00 (Ratacherra (Assam/ Meghalaya border) – Kalain – Badarpur section) and from Km. 204.00 to 284.00 (Badarpur– Churaibari section)], No. 51, No.52 [excluding from km 0.000 to Km. 438.800 (Baihata Charilai - Mission Charaili - Jamaguri – Gohpur - Gokamukh-Kulajan - Kandulijan Gaon section) and from Km. 438.800 to Km. 511.00 (Kandulijan Gaon- Simen Chapori- Rukshin Gate (Assam/Arunachal Pradesh border)], No. 52A [excluding from Km. 20.370 to Km. 30.045 (Gohpur to Holongi section)], No. 52B, No. 54 [excluding from Km. 0.00 to Km. 42.00 (Silchar- Vairengte section) and km. 0.00 to km. 244.00 and from Km. 275.00 to Km 309.00 (Silchar- Haflong- Lanka- Daboka section), No. 61, No. 152, No. 153, No. 154, new NH No. 117A, new NH No.127C, new NH No.127D, new NH No. 127E, new NH No. 208A, new NH No. 315A, new NH No. 329, new NH No. 329A, new NH No. 427, new NH No. 627, new NH No. 702, new NH No. 702C, new NH No. 702D, new NH No.715A and new NH No.715K as are situated within the State of Assam.	
---	--

[F. No. NH-14013/23/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 4195 (E), dated the 16th September, 2025.